



Shri Govind Guru University, Godhra
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા

(ગુજરાત એક્ટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત)

નં.એસજીજીયુ/વહીવટ/૨૦૨૨/૬૩૩૩૭

તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨

પરિપત્ર-૨૧૨૦

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજો/પી.જી.કેન્દ્રો આચાર્યશ્રીઓ/ઇન્ચાર્જશ્રીઓને જણાવવાનું કે, રાષ્ટ્રીય અનુસુચિત જનજાતિ આયોગ, નવી દિલ્હી અને શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે "સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં જનજાતિ નાયકોનું યોગદાન" વિષય પર તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, દાહોદ ખાતે રાષ્ટ્રીય સેમીનારનું આયોજન કરેલ છે. જે સેમિનારમાં આપની સંસ્થા/કોલેજ ખાતે કાર્યરત અનુસુચિત જનજાતિના અધ્યાપકશ્રીઓ, વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઇ શકે તથા સેમીનારમાં ઉપસ્થિત રહે તે અંગે જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા વિનંતી. સેમીનારની વધુ માહિતી માટે આ સાથે બીડેલ છે.




કા.કુલસચિવ
શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી,
ગોધરા

બીડાણ- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ,

શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા સંલગ્ન તમામ કોલેજો/પીજી કેન્દ્રોના આચાર્યશ્રીઓ/ઇન્ચાર્જશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ તરફ જાણ અને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

अस्मिता • अस्तित्व • विकास

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग का गठन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा होता है। आयोग का संगठनात्मक ढांचा:

पद एवं दर्जा:

- अध्यक्ष - कैबिनेट मंत्री
- उपाध्यक्ष - राज्य मंत्री
- सदस्य (3) - भारत सरकार के सचिव

आयोग का नई दिल्ली में एक स्थायी सचिवालय और देश भर में छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया कि जनजाति समुदायों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान एवं विकास की भिन्न चुनौतियां हैं।

जनजाति समुदाय सदियों से आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करने वाली एक विकास दृष्टि का पालन करता रहा है, जिसे आधुनिक दुनिया में अक्षय विकास कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं को मान्यता दी गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा एवं विकास की योजनाओं के निरीक्षण का दायित्व एवं विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

आमंत्रण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली एवं श्री गोविंद गुरु युनिवर्सिटी, गोधरा के संयुक्त उपक्रम से



“स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान”



••• कार्यक्रम अध्यक्ष •••

प्रो. डॉ. कुबेरभाई डिंडोर

मंत्री श्री, गुजरात राज्य उच्च एवं टेकनिकल शिक्षण और वैधानिक एवं संसदीय विभाग

••• मुख्य वक्ता •••

श्री राजा रामजी कटारा

शिवगंगा संस्था, द्राबुआ

••• मुख्य अतिथि श्री •••

माननीय जगजंतसिंह भाभोर

संसद श्री 19- लोकसभा मत विस्तार, दाहोद पूर्व केन्द्रीय मंत्री, आदिजाति विभाग, भारत सरकार

••• अतिथि विशेष •••

प्रो. प्रतापसिंह चौहान

माननीय कुलपति, श्री गोविंद गुरु युनिवर्सिटी, गोधरा

दिनांक : 10/09/2022 शनिवार - समय : सुबह 10.00 बजे से..

स्थल : नवजीवन आर्ट्स एण्ड कोमर्स कॉलेज, दाहोद, गुजरात

••• निमंत्रक •••

डॉ. राजुभाई भुटीया

संयोजक श्री

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

डॉ. अजिल सोलंकी

प्रभारी कुलसचिव श्री

श्री गोविंद गुरु युनिवर्सिटी,
गोधरा

श्री गोविंद गुरु युनिवर्सिटी, गोधरा (गुजरात)


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठवा तल, बी-विंग, लोकनायक भवन, स्नान मार्केट, न्यू दिल्ली - 110 003

संपर्क नंबर: 011-24604689 | टोल फ्री नंबर: 1800-11-7777

वेबसाइट: www.ncst.nic.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



स्वतंत्रता संग्राम में
जनजाति नायकों का
योगदान



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

अस्मिता • अस्तित्व • विकास

सहयोग

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

Steel Authority of India Ltd. के साथ